भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2789
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-।।

2789# श्री राजेश परमानंद शुक्लः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री मदन राठौड़ः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 फरवरी, 2026 को शुरु किए गए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-।। का ब्यौरा क्या है, जिसमें इसका कुल परिव्यय तथा इसके अंतर्गत आच्छादित गांवों, ब्लॉकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या शामिल हैं;

(ख) यह चरण वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-।, जो उत्तरी सीमा तक सीमित था, से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) वीवीपी-। के अंतर्गत परियोजना स्वीकृतियों और निधि जारी होने की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा क्या वीवीपी-।। के अंतर्गत भी इसी प्रकार की स्वीकृतियां शुरु हुई हैं; और

(घ) प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति जैसा कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख (यूटी), सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उत्तरी सीमा से सटे 46 प्रखंडो में स्थित चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-। (वीवीपी-।) को स्वीकृति दी है।

केंद्र सरकार ने, वीवीपी-। के अंतर्गत पहले से कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या2789, दिनांक 12.08.2026

अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा से सटे 334 प्रखंडो में स्थित, चिन्हित 1954 गांवों के व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए ₹6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को, ऐसी अद्वितीय और विशिष्ट चुनौतियां जिनसे निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की ज़रूरत है, स्वीकृति दी है।

गृह मंत्रालय द्वारा वीवीपी-I के अंतर्गत और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभिसरण के माध्यम से 2906 परियोजनाओं को स्वीकृती दी गई है। अब तक वीवीपी-I के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹959.66 करोड़ अवमुक्त किये गए हैं।

वीवीपी-II के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के योजनाबद्ध दिशानिर्देशों में छूट देने के लिए कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन), सचिव (व्यय) और संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है।
